Crim - I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

रेखा जीनगर बनाम विजेन्द्र सिंह व अन्य

रस्म मुकदमा 111,128 नं. 127 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 विरूद्ध विपक्षी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 8/6/2021 को पेश हो।	
8.6.21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1,2,4,5 कि विधिवत तामील हो चुकी है। विपक्षी संख्या 3 कि तामील होकर अप्राप्त। अतः विपक्षी संख्या 1,2,4,5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है एवं विपक्षी 3 के पत्र [illegible] पत्र जारी कर पत्रावली दिनांक 22.6.2021 को पेश हो	
22.6.21	पत्रावली पेश हुई। वादी [illegible] ! [illegible] पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी सं-3 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है प्रार्थी वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता व पत्रावली में निर्णय हेतु [illegible] जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] होकर [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:54:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
(बईजलास श्री अंशुल सिंह आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्या – 127 / **2021** प्रार्थनापत्र एलआर
दायर दिनांक – 25 / 5 / 2021
निर्णय दिनांक – 10 / 06 / 2021

अनवान

रेखा पिता बालकिशन जीनगर उम्र वयस्क निवासी – सी–512 , आजादनगर , भीलवाडा जिला भीलवाडा राज0
........प्रार्थी

बनाम

1. विजेन्द्रसिंह पिता शिवसिंह राठौड निवासी – रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
2. लादु पिता कजोड बलाई निवासी – कावंलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
3. देबीलाल पिता हमीर बलाई निवासी – बडीखेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा।
4. सोहन पिता गंगाराम रेगा निवासी – स्पारहेलीखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा ।

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :::– प्रार्थीया स्वंय

–:आदेश:–

दिनांक **10.06.2021**

1. प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कांवलियास पटवार मण्डल रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि की खाता संख्या 197 का आराजी संख्या 554 , 555 , 555 / 2 , 555 / 3 कुल किता 4 रकबा 2.1373 हेक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जिसके कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से पड़ोसियान से अकसर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने पड़ौसान से अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:54:15 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया ज[illegible] विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया । विपक्षीगण 01 , 02 , 04 [illegible] भी उपस्थित नहीं । इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए । विपक्षी संख्या 03 के खिलाफ कोई कार्यवाही नही चाहने का प्रार्थनापत्र [illegible] किया जों स्वीकार किया गया ।

3. मामले मे प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थी उक्त आदेश की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

5586
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

-:: आदेश::-

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कांवलियास पटवार मण्डल रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि की खाता *संख्या 197 का आराजी संख्या 554 , 555 , 555/2 , 555/3 कुल किता 4 रकबा 2.1373* हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात समस्त पड़ौसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार बनेडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है । पत्थरगढी के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक को 900/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकराना को पूर्व मे सूचित कर उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावे । कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा) न्यायालय सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:54:15 IST
Reason: SelfAttested